सं.ए-12023/1/2018-प्रशा.IV

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
दिनांकः 12 अप्रैल, 2018

सेवा में,

1. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार।
2. सचिव, भारत सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।
4. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण।
5. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
6. सचिव, सीसीआई
7. अध्यक्ष, आईबीबीआई

विषयः राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्य के 04 (चार) पदों को भरना - आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए

महोदय,

मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के न्यायिक सदस्यों के 04 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन (https://apptrbmembermca.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है) आमंत्रित करने का निदेश हुआ हैः-

2. चयनित उम्मीदवारों से पहले से गठित एनसीएलटी खंडपीठों या भविष्य में देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध तरीके से गठित किए जाने वाले खंडपीठों में कार्य करना अपेक्षित है और वे इस नियुक्ति में रिक्ति/कार्य की अनिवार्यता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरण के लिए दायी होंगे।

3. **अर्हताएं** - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(2) के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह,
(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, अथवा
(ख) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायधीश हो, या रहा हो, अथवा
(ग) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो

स्पष्टीकरणः खंड (ग) के उद्देशयों को लिए, जिसमें वह अवधि भी शामिल है जिसके दौरान वह व्यक्ति किसी न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, में वह अवधि भी शामिल होगी जिसके दौरान उस व्यक्ति ने केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी न्यायिक कार्यालय या किसी अधिकरण के किसी सदस्य का कार्यालय या किसी पद, अधिवक्ता बनने के पश्चात् विधि का विशेष ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित हो, पर कार्य किया हो।

4. कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र तभी होगा जबकि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक **50 (पचास) वर्ष की आयु [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)] पूरी कर चुका हो।**

5. **नियुक्ति की शर्तें** - सदस्य 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-15 और यथाअनुमेय भत्ते प्राप्त करेगा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तें और सेवा की शर्तें और निबंधन) नियम, 2015 द्वारा वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित की जाएंगी। नियमों की प्रति कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

6. प्रत्येक सदस्य अपना कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा, परंतु वह पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। तथापि नियुक्ति का कार्यकाल 65 वर्ष की अधिकतम आयुसीमा के अधीन है।

7. चयनित सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

8. न्यायालय/सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उचित माध्यम द्वारा अग्रेषित किए जाएं। अग्रेषण प्राधिकारी को यह भी प्रमाणित (ऑनलाइन आवेदन के **अनुलग्नक-I** में दिए गए प्ररूप में) करना होगा कि आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों को रिकार्ड से सत्यापित किया गया है और इन्हें सही पाया गया है और अधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार के अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित हैं और न ही अपेक्षित है एवं पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर किसी प्रकार की छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है। अग्रेषण प्राधिकारी को आवेदक का पिछले पांच वर्षों का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर भी संलग्न करने होंगे। यदि चयनित व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह अपना कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, में अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक ग्रहणाधिकार रख सकता है।

9. इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 15 अप्रैल, 2018 से https://apptrbmembermca.gov.in पोर्टल देखने की सलाह दी जाती हैं। आवेदनों को ऑनलाइन दायर करने के लिए विस्तृत निर्देश पोर्टल (सूचना और निर्देश शीर्षक के अधीन) पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 मई, 2018, 05.30 अपराह्न है।

10. ऑनलाइन पोर्टल में विधिवत रूप और उचित माध्यम द्वारा, जो भी लागू हो, अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट 14 जून, 2018 तक श्री अमर सिंह मीणा, निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 530, ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को प्राप्त हो जाना चाहिए।

भवदीय,

(रियाज़ुल हक)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्याः 23381349

प्रतिलिपिः

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के मुख्यालय के सभी अधिकारी।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को डीओपीटी वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक I

(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला प्रमाणपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है किः-

(i) श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनामत्क मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

(iii) उनकी सीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में संलग्न है पिछले पांच वर्षों के एसीआर/एपीएआर की प्रतियां अवर सचिव, भारत सरकार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है, सलंग्न की गई है।

(iv) "पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।"

(v) पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर लगाए गए बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न की गई है।

हस्ताक्षर ....
नाम और पदनाम ....
दूरभाष संख्या ....
कार्यालय मुहर

स्थानः
तारीखः

संलग्नकों की सूचीः

1.
2.
3.
4.
5.

(जो लागू न हो उसे काट दें)